

(नियम ८ के उप-नियम (4) देखिए)

कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी प्रारम्भिक शिक्षा, जयपुर, राजस्थान
 क्रमांक जिशिअ/प्राशि/जय/सा-५/फा-मान्यता/झोट/४२५/२०१२

दिनांक-०५/१०/१२

संस्था सचिव


गृहीर पालिक स्कूलवैशाली नगरजयपुर

विषय:- नियम ८ के उप-नियम (4) के अधीन विद्यालय के लिए मान्यता प्रमाण पत्र।

आपके आवेदन दिनांक और इस सम्बन्ध में विद्यालय के साथ किये गये पश्चातवर्ती पत्र व्यवहार/निरीक्षण के संदर्भ में मैं जिला शिक्षा अधिकारी, प्रा० श्री. जयपुर
 (विद्यालय का नाम और पता) गृहीर पालिक स्कूल, वैशाली नगर
 को ११०५०२ से तक तीन वर्ष की कालावधि के लिए कक्षा छासी से उपर्युक्त तक के लिए
 अन्तर्स्थिर मान्यता मंजूर करता हूँ।


उक्त मंजूरी निम्नलिखित शर्तों की पूर्ति के अध्याधीन होगी:-

1. मान्यता के लिए मंजूरी विस्तारणीय नहीं होगी और किसी भी तरह कक्षा-८ से आगे मान्यता/सम्बद्धता की कोई वाध्यता अन्तर्हित नहीं होगी।
2. विद्यालय, निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 (2009 का केन्द्रीय अधिनियम सं 35) और राजस्थान निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम, 2011 के उपबन्धों का पालन करेगा।
3. विद्यालय, कक्षा-१ में या, यथास्थिति, पूर्व विद्यालय कक्षा में 2009 के अधिनियम के अनुसार उस कक्षा की छात्र संख्या की सीमा तक आस पड़ीस के कमज़ोर वर्ग और अभाव ग्रस्त समूह से सम्बन्धित बालकों को प्रवेश देगा और उसकी समाप्ति तक निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध करावेगा।
4. पैरा-३ में निर्दिष्ट बालकों के लिए विद्यालयों का राजस्थान निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम, 2011 के उपबन्धों के अनुसरण में प्रतिपूर्ति की जायेगी। ऐसी प्रतिपूर्ति प्राप्त करने के लिए विद्यालय एक पृथक वैक खाता रखेगा।



नवीन
 नवीन दिला अधिकारी जयपुर
 जयपुर

5. सोसायटी/विद्यालय कोई प्रतिव्यक्ति फौज संगीत नहीं करेगा और बालक या आसके माता-पिता या सख्तक को किसी छंटाई प्रक्रिया का पात्र नहीं बनायेगा।
6. विद्यालय आयु के सबूत के अभाव में किसी बालक के प्रवेश से इनकार नहीं करेगा और 2009 के अधिनियम की धारा 15 के उपबन्धों का पालन करेगा। विद्यालय यह सुनिश्चित करेगा कि :
- विद्यालय में प्रविष्ट किसी बालक को विद्यालय में उसकी प्रारंभिक शिक्षा की समाप्ति तक किसी क्षण में रोका या तिद्यालय से निष्कासित नहीं किया जायेगा ;
 - कोई बालक शारीरिक दण्ड या मानसिक उत्तीर्णन का पात्र नहीं होगा ;
 - किसी बालक से उसकी प्रारंभिक शिक्षा की समाप्ति तक किसी बोर्ड की परीक्षा उत्तीर्ण करना अपेक्षित नहीं होगा ;
 - प्रारंभिक शिक्षा पूर्ण करने वाले प्रत्येक बालक को राजस्थान नियुक्त और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम, 2011 के नियम 23 के अधीन यथा—अधिकथित प्रमाणपत्र प्रदान किया जायेगा ;
 - 2009 के अधिनियम के उपबन्धो के अनुसार नियोगिता/विशेष आवश्यकता के विद्यार्थियों के समिलित किया जाये ;
 - अध्यापक, 2009 के अधिनियम की धारा 23 की उप-धारा (1) अधीन अधिकथित न्यूनतम आर्हताओं सहित भर्ती किये जायें ;
- परन्तु यर्तमान अध्यापक, जो 2009 के अधिनियम के प्रारंभ पर न्यूनतम आर्हताएं नहीं रखते हैं, व 2009 के अधिनियम की धारा 23 के परन्तुके उपबन्धो के अनुसार, 5 वर्ष की कालावधि के भीतर ऐसी न्यूनतम आर्हताएं अर्जित करेंगे ;
- अध्यापक 2009 के अधिनियम की धारा 24 की उप-धारा (1) के अधीन विनिर्दिष्ट उनके कर्तव्यों का निर्धारण करते हैं ; और
 - अध्यापक स्वयं को निजी अध्यापन क्रियाकलापों में नहीं लगायें।
7. विद्यालय, समुचित प्राधिकारी द्वारा अधिकथित प्रादृश्यक्रम के आधार पर पाठ्यविवरण का अनुसरण करेगे।
8. विद्यालय, 2009 के अधिनियम की धारा 19 में यथा—विनिर्दिष्ट मान और मानकों का अनुरक्षण करेगे। अनिमा निरेक्षण के समय रिपोर्ट की गयी सुविधाएं निम्नानुसार हैं :— (संस्था के द्वारा प्रस्तुत स्व घोषणा पत्र—प्रपत्र 1 के अनुसार)
- विद्यालय परिसर का क्षेत्र
 - कूल निर्मित क्षेत्र
 - खेल—कूद के मैदान का क्षेत्र


मंत्री
संकाय विभाग विवरण सोसायटी
जयपुर

- कक्षा के कमरों की संख्या
 - प्रधानाध्यापक एवं कार्यालयों एवं भंडार कक्ष
 - लड़के और लड़कियों के लिए पृथक-पृथक शौचघर
 - पीने के पानी की सुविधा
 - गिड-डे मील पकाने के लिए रसोई
 - अवशेष गुकत पहुंच
 - अध्यापन विज्ञता सामग्री/खेल-कूद उपस्कर/ पुस्तकालय की उपलब्धता।
9. विद्यालय परिसर के भीतर और बाहर उसी नाम से कोई गैर मान्यता प्राप्त कक्षाएं नहीं चलायी जाएंगी।
10. विद्यालय भवन या अन्य संरचनाएं या मैदान केवल शिक्षा और कौशल विकास के प्रयोजन के लिए उपयोग में लिए जायेंगे।
11. विद्यालय, सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1860 (1860 का केन्द्रीय अधिनियम सं.21), राजस्थान सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1958 (1958 का अधिनियम सं. 28) के अधीन रजिस्ट्रीकृत किसी सोसाइटी द्वारा या तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन गठित किसी लोक न्यास द्वारा चलाया जाता है।
12. विद्यालय, किसी व्यक्ति, व्यक्तियों के समूह या संगम या किन्हीं अन्य व्यक्तियों के लाभ के लिए नहीं चलाया जाता है।
13. किसी चार्टड एकाउंटेट द्वारा लेखों की संपरीक्षा और उन्हें प्रमाणित किया जायेगा और नियमों के अनुसार समुचित लेखा विवरण तैयार किया जायेगा। प्रत्येक लेखा विवरण की एक प्रति, जिला प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी को प्रतिवर्ष भेजी जायेगी।
- जे. पी. आर./कोट./आर.टी.ई./ए०२५/०५/०२/२
14. आपके विद्यालय को आवंटित मान्यता कोड संख्या (RJ/BEEO/JHI/JPR/2012-13/.....) है। कृपया इसे नोट किया जाये और इस कार्यालय के साथ पत्र व्यवहार के लिए इसे उत्कथित किया जाये।
15. विद्यालय, ऐसी रिपोर्ट और सूचना देगा जिनकी निदेशक, प्रारंभिक शिक्षा/ जिला प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी द्वारा समय-समय पर अपेक्षा की जाये और राज्य सरकार/राजनीय प्राधिकारी के ऐसे निर्देशों का पालन करेगा जो मान्यता की शर्तों को लगातार पूरा करने या विद्यालय कार्यकरण में त्रुटियों का हटाया जाना सुनिश्चित करने के लिए उनके द्वारा जारी किये जायें।
16. सोसायटी के रजिस्ट्रीकरण का नवीकरण, यदि कोई हो, सुनिश्चित करें।
17. अन्य शर्तें सलमन परिशिष्ट के अनुसार हैं।

ब्लॉक प्रार. शिक्षा अधिकारी
झोटवाडा (जयपुर)

मंत्री
कौशल विज्ञ भवन लोकालय
जयपुर

Govardhan
जिला शिक्षा अधिकारी
प्रारंभिक शिक्षा जयपुर